324

संख्या–305 / XVIII(II) / 2013–18(32) / 2012

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 12 अप्रैल 2013

विषयः–ग्राम निरंजनपुर, जनपद देहरादून में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की 0.600 है0 भूमि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के सब मिशन बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत ब्रह्मपुरी फेज–1 एवं फेज–2 के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम, देहरादून को आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–359 / डी0एल0आर0सी0–2012–XII-A-14 2011–14 दिनांक 18.05.2012 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम निरंजनपुर, जनपद देहरादून में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय हेतु वर्ष 1988 में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा आवंटित 0.8090 है0 भूमि का समयान्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजन पूर्ण नहीं किये जाने के कारण इस भूमि में से 0.600 है0 भूमि का आवंटन निरस्त करते हुए उक्त 0.600 है0 भूमि, भारत सरकार द्वारा संचालित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 परियोजना के सब मिशन बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत ब्रह्मपुरी फेज 1 एवं फेज–2 के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम, देहरादून द्वारा किये गये अनुरोध तथा नगर विकास विभाग की सहमति के दृष्टिगत, निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन, नगर निगम, देहरादून को नियमानुसार निर्धारित शुल्क पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

.....2

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या– 305 / समदिनांकित / 2013
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय।
7– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।